

30 ऊँ
दस्तावेज प्रारूप



सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

दिनांक-21.06.2017

पृष्ठ सं०.-1 से 2 बिन्दु सं०.1 से 14

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी (पीआईओ)
श्रीमान शशि विकास अंत्री, भारत सरकार
नयी दिल्ली - 110011

आवेदक का नाम व पता- रामेश्वर शर्मा चौ नं० डी०. 408, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कडकडहुमा कोर्ट परिसर शाहदरा
दिल्ली-32

सूचना का विवरण- सूचना बाबत डी०.डी०. एन्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि जो जिसका रजिस्ट्रर न०. एन०. और बी०. दिनांक 20.02.2017 व 21.02.2017 एवं थाना खजुरी स्ट्रास दिल्ली 110094 एवं इसकी यह डी०.डी०. एन्ट्री रजिस्ट्रर में ए०. और बी०. के आधार पर 20.02.2017 एवं 21.02.2017 को दर्ज हुई है और उसकी प्रतिलिपि, सूचना के साथ देते।
2. यह है कि ओम प्रदरः बकरी पुत्र नामालुम निवासी, 2258 ग्राउंड फ्लोर हडसन लेन जी०.टी०.बी०. नगर दिल्ली, 2261 एवं 2260 भी इसी पत्रे पर है और यह दो न०. का कार्य करने वाला उपरोक्त नक्शी रैसीडेंसीयल मकानों में अवैध गर्ल्ज हॉस्टल उपरोक्त 2258 गंकांन न०. की चौथी मंजील पर अवैध निर्माण कर किस योजना से गर्ल्ज हॉस्टल राजपाल आदि अपने सहयोगी बदमाशों की सहायता से दिल्ली पुलिस को रजिश्त देकर किस योजना से चलाता है। 3. नोटिस अंडर सेक्शन 133 ऑफ मॉटर व व्हीकल एक्ट 1928 के तहत नोटिस सं०. 19516922 एन०.बी०. (टी) दिनांक 30.05.2017 दूसरा नोटिस सं०. 19516922 एन०.बी०. (टी) दिनांक 30.05.2017 तीसरा नोटिस सं०. 19516920 एन०.बी०. (टी) दिनांक 30.05.2017, चौथा नोटिस सं०. 19516919 एन०.बी०. (टी) दिनांक 30.05.2017, यह चारो नोटिस असवैधानिक अंग्रेजी भाषा में किस योजना से आजाद भारत में भेजे जाते हैं और सभी प्रकार के चालान भी दिल्ली पुलिस द्वारा असवैधानिक राजभाषा अंग्रेजी भाषा में किस योजना से आजाद भारत में किए जाते हैं। 4. दिल्ली पुलिस एवं यातायात विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दिल्ली और एन०.सी०.आर०. की कार एवं दुसरी गाड़ियों पर ब्लैक शीशे रिश्त लेकर किस योजना से चलवा रहे हैं। 5. दिल्ली में दिल्ली पुलिस, एन०.सी०.डी०., दिल्ली यातायात के अधिकारी और कर्मचारी मोटी रिश्त लेकर नैशनल आई०.एस०.बी०.टी०.ओर इंटरनैशनल एयरपोर्ट के आस-पास और दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन के आस-पास निजी करो और दूसरी अन्य गाड़ीयो को मोटी रिश्त लेकर अवैध तरीके से टैक्सी बनाकर किस योजना से चलवाते हैं और पुरी दिल्ली के हर क्षेत्र को रोड़ो पर, पार्को पर अवैध दुकाने, रेहड़ी खोमचे आदि लाखों की संख्या में अवैध तरीके से लगवाकर इनसे लाखों का अवैध व्यापार कराकर दिल्ली पुलिस, एन०.सी०.डी०., यातायात विभाग की अधिकारी व कर्मचारी रोजाना कई सौ करोड़ की रिश्त लेकर किस योजना से यह धन्धा करा रहे हैं सूचना विवरण राहित देवे।

सूचना के अधिनियम 1987 से 2017 हाल तक-

आदरणीय मान्यवर,

1. सूचना दे की आपके विभाग के पी०.आई०.ओ०. एवं अपिलीय अधिकारियों के नाम पते एवं पद दर्शाते हुए उनका विवरण सहित ब्योरा हिन्दी में देवे।
2. सूचना दे कि देश की हर क्षेत्र में कार्यवाही करने के लिए देश की सवैधानिक राज भाषा कौन सी है सूचना हिन्दी में देवे।
3. सूचना दे की देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है।
4. सूचना दे की रिश्त के लिए जिरादी राष्ट्रभाषा नहीं है। सूचना हिन्दी में देवे।
5. सूचना दे की रिश्त के लिए जिरादी राष्ट्रभाषा और राजभाषा में उनको देश की हर कार्य नहीं होते सूचना हिन्दी में देवे।

30
21/6/17

6. सूचना दे की ऑफ प्रकाश बक्शी और उसका सहयोगी बदमाश राजपाल म.नं. 2258, 2261 और 2260 हड़सन लेन जी.टी.वी. नगर दिल्ली में कर्मशीयल तरीके से इन मकानों को गर्ल्ज हॉस्टल एवं बायज हॉस्टल चला कर बिना किसी प्रमीशन के दिल्ली पुलिस आदि को मोटी रिश्वत देकर अवैध कमाई/अवैध व्यापार किस योजना से चलाया जा रहा है। सूचना हिन्दी में देवे।

7. सूचना देकी यह उपरोक्त ऑफ प्रकाश बक्शी व राजपाल 2258, हड़सन लेन जी.टी.वी. नगर दिल्ली की चौथी मंजील पर अवैध कमरे एम.सी.डी. वाले को रिश्वत देकर किस योजना से बनाये गए और उनमें अवैध तरीके से कर्मशीयल कार्यवाही कर गर्ल्ज हॉस्टल बिना प्रमीशन के किस योजना से चलाने दिया जा रहा है सूचना हिन्दी में देवे।

8. सूचना दे कि उपरोक्त डी.डी. रजिस्टर की ए.ओ.बी. की एन्ट्री जो 20.02.2017 या 21.02.2017 को धाना खजुरी खास दिल्ली में लिखी गई उसकी सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि विवरण सहित सूचना के साथ हिन्दी में देवे।

9. सूचना दे की उपरोक्त 20.02.2017 एवं 21.02.2017 धाना खजुरी दिल्ली में कल कीतनी डी.डी. एन्ट्री किस-किस संबंध में लिखी उन का विवरण सहित ब्यौरा देते हुए सूचना हिन्दी में देवे।

10. सूचना दे की उपरोक्त 4 नोटिस नोटिस अंडर सेक्शन 133 ऑफ मॉटर व व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नोटिस स.नं. 19516922 एन.बी. (टी) दिनांक 30.05.2017 दूसरा नोटिस स.नं. 16516921 एन.बी. (टी) दिनांक 30.05.2017 तीसरा नोटिस स.नं. 19516920 एन.बी. (टी) दिनांक 30.05.2017, चौथा नोटिस स.नं. 19516919 एन.बी. (टी) दिनांक 30.05.2017, यह चारों नोटिस असवैधानिक अंग्रेजी भाषा में किस योजना से आजाद भारत में भेजे जाते हैं विवरण सहित सूचना हिन्दी में देवे।

11. सूचना दे कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस एवं यातायात विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दिल्ली और एन. सी.आर. की गाड़ीयों को ब्लैक शीशे रिश्वत लेकर किस योजना से चला रहे है। सूचना हिन्दी में देवे।

12. सूचना दे कि दिल्ली के सभी अन्तरराज्य बस अड्डों एवं अन्तदेशीय एयरपोर्टों के आसपास अवैध निजी गाड़ीया लगाकर अवैध वसूली कर अवैध तरीके से यातायात के नियमों को तोड़कर अरबों रुपये की रिश्वत लेकर दिल्ली पुलिस और यातायात के अधिकारी और कर्मचारी चलवा रहे है।

13. सूचना दे कि दिल्ली की सड़कों, पार्कों, नालों, गलियों, फुटपाथों, आदि पर दिल्ली पुलिस, एन.सी.आर., यातायात विभाग के कर्मचारी, व अधिकारी मोटी रिश्वत लेकर किस योजना से अवैध दुकाने, रेहड़ी खोमचे आदि लगाकर रोजाना अरबों रुपये की कमाई किस आधार पर कर रहे है सूचना हिन्दी में देवे।

14. सूचना दे कि दिल्ली के हर क्षेत्र में एवं एन.सी.आर. में दिल्ली पुलिस द्वारा और दूसरे विभागों द्वारा हर कार्यवाही असवैधानिक अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा ने किस योजना से हर प्रकार की कार्यवाही किस योजना से की जाती है और कम्प्यूटरो में केवल अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा के फोन्ट किस योजना से लगाकर देश की रावैधानिक राज भाषा देवनागरी लिपि का अपमान कब तक किया जाता रहेगा। सूचना हिन्दी में देवे।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की सूचना आवेदक के उपरोक्त डाक के पते पर डाक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत 48 घण्टे की अविध के दौरान सही व सत्य सूचना भीजवाये और आवेदक का नाम व पता गुप्त रखा जाये वरना ये त्रुटि पुलिस एवं अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी दोषीयों से मिलकर आवेदक व उसके परिवार वालों को या तो मरवा देगे या झुठे केस बनवाकर तंग करा देगे। इसके साथ सूचना आवेदन की तारीख 10 रुपये/50 रुपये संलग्न है। आर.वी.आ.नं. 382/म. 199600

दिनांक- 21-6-2017

आवेदक
रामेश्वर शर्मा
उपरोक्त